F.-1/एकीकृत जांच फार्म–1
पृष्ट – 1

FIRST INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..सीपीएसजयपुरYear(वर्ष).2022..FIRNo.(प्रसूरिसं).....242/22...Dateदिनांक)16/6/22

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराऐं). .... 7A..............

(ii) Act (अधिनियम)........... .... Sections (धाराऐं)................ ....

(iii) Act (अधिनियम)...........................Sections (धाराऐं)..

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 11.04.2022 to (दिनांक तक) Time Period (पहर) ....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या)508... Time(समय).5-00 PM

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 60 KM पश्चिम .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) .. राजलदेसर जिला चूरू।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)
Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) ..... हंसराज नाथ ....

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) ... श्री मूलनाथ सिद्ध.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...26 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. ....

(g)(छ) Address (पता) निवासी भाणुदा बीदावतान तह0 रतनगढ जिला चूरू।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री रामचन्द्र दास स्वामी पुत्र श्री नारायण दास निवासी जेगणियां बीदावतान तह0 रतनगढ जिला चूरू।

[signature]

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).......शून्य..

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू

विषयः– रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मै हसंराज नाथ पुत्र मूलनाथ सिद्ध निवासी भानोदा बिदावतान तह0 रतनगढ जिला चूरू का रहने वाला हूँ। मेरा बडा भाई मामराज नाथ विकलांग है जिसने गांव में ही धर्मकांटा कर रखा है। बीकानेर जाने हाई–वे पर किसी जगह टायर चोरी होने पर पुलिस थाना राजलदेसर में टायर चोरी का मुकदमा दर्ज हो रखा है जिसमें तीन व्यक्तियों भानीनाथ, गिरधारी नाथ व विकास को पुलिस ने टायर चोरी के आरोप में पकड लिया है। भानीनाथ व गिरधारी नाथ टायर चोरी करने से करीब 10–15 दिन पहले मेरे भाई के पास धर्म कांटे पर आकर गये थे। दो–तीन दिन पहले पुलिस थाना राजलदेसर से थानेदार जी स्वयं व उसके साथ रामनिवास पाण्डर सिपाई हमारे धर्मकांटे पर आये तथा उन्होने कहा कि टायर चोरी के बाद टायर चोरी करने वाले व्यक्तियों की लॉकेशन आपके कांटे पर आ रही है। आपके भाई मामराज ने भी टायर चोरो से टायर लिये है। जिस पर मैने कहा कि मेरा भाई विकलांग है जो ऐसा काम नही करता है। उसके बाद थानेदार जी रामप्रताप गोदारा ने श्री रामचन्द्र स्वामी निवासी राजलदेसर के साथ समाचार भिजवाया कि अगर आप पचास हजार रूपये खर्चे के दे देते हो तो आपके भाई मामराज को मुकदमें मे मुल्जिम नही रखेगे। उसके बाद शाम को मै पुलिस थाना राजलदेसर में जाकर थानेदार जी से मिला तो उन्होने कहा कि आप अपने भाई को लाकर पेश कर दो अगर मुल्जिम नही है तो छोड देंगे तथा मुल्जिम होगा तो गिरफतार कर लेगे। आज रामचन्द्र स्वामी का मेरे पास फोन आया और कहा कि कहीं पर भी भटकने की जरूरत नही है, थानेदार जी ने मेरे को कहा है कि पच्चीस हजार रूपये खर्चे के ले लेना, मामराज को मुल्जिम नही रखेगें। राजलदेसर थानेदार व उसका दलाल रामचन्द्र स्वामी निवासी राजलदेसर मेरे भाई को झुठे केस में फसाने की धमकी देकर नाजायज 25,000रू. रिश्वत के मांग कर रहे हैं मै उन्हे रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरा थानेदार जी व रामचन्द्र स्वामी के मध्य कोई उधारी का लेन–देन नही है, आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांक 06.04.2022

प्रार्थी
एसडी हसंराजनाथ
हसंराज नाथ पुत्र मूलनाथ सिद्ध
निवासी भानोदा बिदावतान
तह0 रतनगढ जिला चूरू
मो0न0 8003500799

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 06.04.2022 को वक्त 11.15 एएम पर परिवादी हसंराज नाथ पुत्र मूलनाथ सिद्ध निवासी भाणुदा बीदावतान तह0 रतनगढ जिला चूरू ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की जिस पर निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपार्ट का अवलोकन कर मजीद पुछताछ की तो श्री हंसराज नाथ ने बताया कि मेरा बडा भाई मामराज नाथ विकलांग है जिसने गांव में ही धर्मकांटा कर रखा है। बीकानेर जाने वाले हाई–वे पर किसी जगह टायर चोरी होने

पर पुलिस थाना राजलदेसर में टायर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें तीन व्यक्तियों भानीनाथ, गिरधारी नाथ व विकास को पुलिस ने टायर चोरी के आरोप में पकड लिया है। भानीनाथ व गिरधारी नाथ टायर चोरी करने से करीब 10–15 दिन पहले मेरे भाई के पास धर्म कांटे पर आकर गये थे। आज से करीब 2–3 दिन पहले पुलिस थाना राजलदेसर से थानेदार जी स्वयं श्री रामनिवास पाण्डर सिपाई के साथ हमारे धर्मकांटे पर आये तथा उन्होने कहा कि टायर चोरी के बाद टायर चोरी करने वाले व्यक्तियों की लॉकेशन आपके कांटे पर आ रही है। आपके भाई मामराज ने टायर चोरो से टायर लिये है। जिस पर मैने कहा कि मेरा भाई विकलांग है जो ऐसा काम नही करता है। उसके बाद थानेदार जी रामप्रताप गोदारा ने श्री रामचन्द्र स्वामी निवासी राजलदेसर के साथ समाचार भिजवाया कि अगर आप पचास हजार रूपये खर्चे के दे देते हो तो आपके भाई मामराज को मुकदमें मे मुल्जिम नही रखेगे। उसके बाद शाम को मै पुलिस थाना राजलदेसर में जाकर थानेदार जी से मिला तो उन्होने कहा कि आप अपने भाई को लाकर पेश कर दो अगर मुल्जिम नही है तो छोड देंगे तथा मुल्जिम होगा तो गिरफतार कर लेगे। आज रामचन्द्र स्वामी का मेरे पास फोन आया और कहा कि कहीं पर भी भटकने की जरूरत नही है, थानेदार जी ने मेरे को कहा है कि पच्चीस हजार रूपये खर्चे के ले लेना, मामराज को मुल्जिम नही रखेगें। राजलदेसर थानेदार व उसका दलाल रामचन्द्र स्वामी निवासी राजलदेसर मेरे भाई को झुठे केस में फसाने की धमकी देकर मेरे नाजायज 25,000रू. रिश्वत की मांग कर रहे हैं मै उन्हे रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरा थानेदार जी व राजचन्द्र स्वामी के मध्य कोई उधारी का लेन–देन नही है। उक्त रिपोर्ट पेश करता हूँ जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी हसंराज नाथ की रिपोर्ट एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी हसंराज नाथ को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बधं में पुछा तो बताया कि थानेदार जी व रामचन्द्र स्वामी आज मुझे राजलदेसर में मिल सकते हैं जिनसे मै रिश्वत के सम्बध में वार्ता कर सकता हूँ। इस पर श्री श्रवण कुमार कानि को तलब कर परिवादी हंसराज नाथ से आपस में परिचय करवाकर परिवादी हसंराज नाथ को सरकारी टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की विधी समझाकर सुपुर्द किया गया एवं कानि श्रवण कुमार के साथ रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये परिवादी के वाहन से रवाना राजलदेसर किया गया।

वक्त 8.00 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर चोकी आया व रिकॉर्ड वार्ता का टेप रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मै व परिवादी हंसराज नाथ उसकी गाडी से रवाना होकर राजलदेसर पंहुचे। हंसराज नाथ ने टेलीफोन के जरिये एक आदमी को बुलाया व उसके साथ दोनो थाने पर चले गये। करीब धण्टाभर बाद परिवादी व उसके साथ गया आदमी थाने से बाहर आये। परिवादी के साथ आया आदमी गाडी लेकर चला गया और परिवादी हंसराज नाथ मेरे पास आया व वार्ता का टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि साथ वाला आदमी थानेदार का दलाल रामचन्द्र स्वामी था। इसी ने मुझसे पहले फोन पर पैसो की कही थी। मै व रामचन्द्र थाने पर थानेदार जी के पास गये व उनसे उनके कार्यालय में बात की तो थानेदार जी ने कहा कि पहले आपके भाई को लेकर आओ वह मुल्जिम है तो गिरफ्तार करेगें तथा नही है तो गिरफ्तार नही करेगें। उसके बाद रामचन्द्र ने मेरे को बाहर जाने की कहने से मै कमरे से बाहर आ गया व रामचन्द्र कुछ देर थानेदार जी से बात कर बाद में बाहर आया व मुझे कहा कि मेरी थानेदार जी से बात हो चुकी है। मैने थानेदार जी को मेरे घर पर जागरण होने के कारण दो–तीन दिन रूकने को कहा तो थानेदार जी ने कहा है कि दो–तीन दिन तो मै रूक जाउंगा। रामचन्द्र ने कहा कि दो–तीन दिन रूक जाओ अगर मामले को रफा–दफा करना है तो मै थानेदार जी से बात करके तुझे खर्चा बता दुंगा। हम तीनों के बीच हुई वार्ता को मैने टेप में रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी हंसराज ने कहा है कि रामचन्द्र के घर पर जागरण है इसलिए दो–तीन दिन बाद वह मुझे दुबारा वार्ता के लिए बुलायेगा तब मै आपसे सम्पर्क करके ही रामचन्द्र व थानेदार जी से खर्चे के सम्बधं में वार्ता करूगा। इस पर मै हंसराज नाथ को राजलदेसर छोडकर निर्देशानुसार चौकी आ गया। कानि द्वारा पेश टेप रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा परिवादी का फोन आने पर कानि श्रवण कुमार को भेजकर विस्तृत मांग सत्यापन वार्ता करवाई जावेगी।

दिनांक 11.04.2022 को 9.00 एएम पर परिवादी हंसराज नाथ ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल बताया कि रामचन्द्र स्वामी ने आज मुझे फोन कर वार्ता करने के लिए बुलाया है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कानि श्रवण कुमार को मय टेप रिकॉर्डर राजलदेसर पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिए रवाना राजलदेसर किया गया। वक्त 10.00 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर चोकी आया व रिकॉर्ड वार्ता का टेप रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मै रवाना होकर राजलदेसर पहुचा जहां पर बस स्टैण्ड पर

परिवादी हंसराज नाथ उपस्थित मिला जिसने बताया कि मेरी रामचन्द्र स्वामी से बात हुई है वह अभी आ रहा है जिस पर मैने टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द किया तथा मै वहीं पर बस स्टैण्ड पर आस–पास मुकीम हो गया। थोडी देर बाद एक गाडी आई जिसमें उस दिन वाला व्यक्ति था। परिवादी हंसराज नाथ उसकी गाडी में बैठ गया व काफी देर तक दोनो वार्ता करते रहे। बाद में परिवादी गाडी से उतर गया व वह व्यक्ति थाने जाकर वापिस आया तथा परिवादी को कहा कि थानेदार जी अभी थाने पर नही है दो तीन घण्टे रूकना होगा। इस पर मै व परिवादी दो–तीन घण्टे वहीं बस स्टैण्ड के आस–पास रूके शाम को करीब साढे पांच बजे रामचन्द्र स्वामी परिवादी के पास आया व उसे लेकर थाने की तरफ चला गया। करीब घण्टाभर बाद परिवादी मेरे पास आया व बताया कि मै थाने के बाहर अन्य व्यक्तियों के पास बैठ गया तथा रामचन्द्र थाने में चला गया। रामचन्द्र करीब पौन घण्टा बाद मेरे पास आया व मुझे कहा कि थानेदार जी सरदारशहर गये हुए है अभी तक नही आये है। मैने इंतजार किया तथा उनसे फोन पर बात की तो उन्होने मुझे कहा है कि हंसराज से साढे सतरह हजार रूपये खर्चे के ले लेना, उसके भाई को मुकदमें में मुल्जिम नही रखेगें। रामचन्द्र स्वामी ने मेरे से थानेदार को देने के लिए साढे सतरह हजार रूपये रिश्वत की मांग की है तथा रूपये लेकर अभी बुलाया है जिस पर मैने कहा कि बाजार में एक आदमी है जिससे लेकर आता हूँ। मेरी व रामचन्द्र की वार्ता को मैने रिकॉर्ड कर लिया है। करीब 7.30 पीएम पर आरोपी रामचन्द्र का परिवादी के पास फोन आया जिसमें आरोपी ने कहा कि अभी तक तू आया नही तो परिवादी ने कहा कि पैसे की व्यवस्था नही हुई सुबह जल्दी आ जाउंगा। परिवादी व आरोपी की मोबाईल पर हुई वार्ता को मैने टेप में रिकॉर्ड कर लिया है। आरोपी ने परिवादी को कल सुबह आठ बजे मुझे बुलाया है। इस पर मैने परिवादी से टेप लेकर निर्देशानुसार उसे दिनांक 12.04.22 को सुबह जल्दी रिश्वती राशि सहित चूरू पंहुचने की कही तथा मै रवाना होकर चूरू आ गया। कानि द्वारा पेश टेप रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 12.04.2022 को वक्त 5.00 एएम पर परिवादी हंसराज नाथ अपने निजी वाहन से हाजिर चौकी आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि रिश्वत में दिये जाने वाले 17,500रू. साथ लाया है। परिवादी हंसराज नाथ ने कानि श्रवण कुमार द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यों की ताईद करते हुऐ आरोपी रामचन्द्र द्वारा थानेदार के लिए साढे सतरह हजार रूपये रिश्वत की मांग करने व आज रिश्वत लेने बाबत बताया। आरोपी रामचन्द्र की दिनांक 06.04.22 व दिनांक 11.04.2022 को आरोपी से हुई वार्ताओ का टेप रिकॉर्डर निकाल कर जरिये कम्प्यूटर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। रिश्वती मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 06.04.2022 व 11.04.2022 की टेप को परिवादी हंसराज नाथ व कानि श्रवण कुमार के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने के दौरान 8.14 एएम पर आरोपी रामचन्द्र स्वामी का परिवादी हंसराज के मोबाईल पर कॉल आया जिस पर परिवादी ने वापिस आरोपी को फोन कर वार्ता की जिसमें आरोपी रामचन्द्र ने कहा कि आप अभी तक आये नही आने की कह रहा था। परिवादी ने कहा कि मै अभी घर से रवाना होकर आ रहा हूँ आपकी थानेदार जी से बात हुई है तो आरोपी ने कहा कि हां वार्ता हो गई आप जल्दी आ जाओ। परिवादी व आरोपी की उक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 06.04.2022, 11.04.2022 व दिनांक 12.04.2022 को मोबाईल पर हुई वार्ता की दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपडे की थैली में सील्ड किया जाकर सम्बधित के हस्ताक्षर कर मार्क 'A' अंकित किया गया तथा एक सीडी को खुला रखा गया। वार्ता की दोनो सीडियों को जमा मालखाना करवाया गया।

दिनांक 06.04.2022 को परिवादी, थानेदार राम प्रताप गोदारा व रामचन्द्र दास के मध्य थानाधिकारी के कक्ष में हुई उक्त वार्ता में परिवादी हसंराज नाथ कहता है कि 'मैं बताउं क्या, मैं सभी के पास तीन दिन गाड़ी लेकर घूम चुका हूं, जितने भी इस मामले में आदमी है, सब के पास मिलकर के साहब के पास आया हूं।' जिस पर थानेदार कहता है कि 'आप एक बात सुनो, सब जगह घूम कर आ गये। हो सकता है उनसे सीधी बात नहीं हुई होगी। भानीनाथ ने गाड़ी भरकर यह बात कही कि एक काम करके आया हूं, आते ही आपका हिसाब कर दूंगा। टायरों की गाड़ी लूट करके देकर के आया हूं। यह बात नहीं हुई क्या। यह बात हो गई, लूट कर के आपके गांव गया ओर बोला की हम जा रहे है। यह बात स्वीकार करके वह गया है, यह कहानी फाईल पर आई हुई है, समझ गया मेरी बात। इलाके की वो जितनी भी कहानियां है ना इनको कहकर के गया है। जो जैसा काम करता है वैसा ही फल मिलता है, इस इलाके में जितने भी काम होते है उनके बारे में इस आदमी को सारा पता है, यही आदमी मैन है, अगर इसके खिलाफ कार्यवाही कर दी तो भी पूण्य ही मिलेगा, पाप नही।

आपको डरने की जरूरत नहीं है आप ले आओ, मैं जो बात करता हूं वो पक्की है' इस पर आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'इसका इसमें इनरोल है तो' इस पर परिवादी कहता है कि 'नहीं सर, इनरोल नहीं है ' इस पर आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'नहीं किया है तो भी करना पड़ेगा' थानेदार कहता है कि 'कह रहा है ना, ऐसे कैसे ले आए, हम उसे बैठाकर के ले आएगें' इस पर आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'अगर वह इसमें शामिल है तो उसको पेश करना ही पड़ेगा। नाम अगर मेरा भी झूठा लिखा जाए तो मेरे को भी आना ही पड़ेगा, झूठ–सच बाद में सामने आयेगा।' इस पर परिवादी कहता है कि 'एक बात तो बताओ, उसको लेकर के आयेगे ओर आते ही कहोगे कि वह मुल्जिम है तो उसके बाद उसका क्या होगा' थानेदार कहता है कि 'अपन कुछ ऊंचा–नीचा करेगें, कोई अगर झूठी बात कह देता है कि रामप्रताप का माल खाया हुआ है' इसके बाद आरोपी दलाल परिवादी को बाहर जाने की कहता है तथा बाद में थानेदार से कुछ देर बाद बात करने के बाद आहर आता है तथा परिवादी को कहता है कि 'उसको मुकदमें से बिल्कुल ही निकालना है क्या' इस पर परिवादी कहता है कि 'हां' इस पर आरोपी दलाल कहता है कि 'परसो ही आया है, पहले वाला होता तो आपके सामने ही कह देता। कोई काम होता है चुप रहना चाहिए, ऐसे काम चुप रहकर के करने के होते है। शौर करने से काम नहीं होते है। मैं अब कह के आया हूं। दो दिन पैण्डिग रखो हमारे प्रोग्राम है। शाम को साहब भी जेगणिया प्रोग्राम में आयेगे। मैं डीजल भरवाकर के अब जा रहा था। आपने फोन कर दिया तब रूक गया। आपका काम हो जायेगा, यह बात है'

दिनांक 11.04.2022 को परिवादी ने आरोपी दलाल से वार्ता की जिसमें परिवादी हंसराज नाथ कहता है कि 'अपने तो एकदम बिल्कुल ही झूठा मुकदमा है' इस पर आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'वो तो झूठा ही है रामनिवास ने टायर खरीदे है चोरी के खरीदे है' परिवादी हंसराज नाथ कहता है कि 'अब क्या कह रहे है थानेदार जी ' इस पर आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'कह क्या रहे है पैसों की कह रहे है मेरे हिसाब से तो लगभग बीस पच्चीस हजार रूपये मांगेगा। मेरे आईडिया से आराम से पच्चीस हजार रूपये मांगेगा, अभी एक छोटा सा मेटर था, शिवभगवान जी ने ले लिये पच्चास हजार, छोटा सा मेटर था।'

इसी दिन शाम को आरोपी दलाल व परिवादी की थाने के सामने बातचीत होती है जिसमें आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'रात को चारी करते हो, उसने कहा था पच्चीस हजार रूपये का' परिवादी हंसराज नाथ कहता है कि 'अच्छा' आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'साढे सत्तरह देना है' परिवादी हंसराज नाथ कहता है कि 'साढे सत्तरह हजार रूपये क्या' आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'हां' परिवादी हंसराज नाथ कहता है कि 'मेरे को तो कहा था कि पच्चीस हजार' आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'मांगे तो पच्चीस हजार ही थे, मैने कहा इतने नही है' परिवादी हंसराज नाथ कहता है कि 'हां' आरोपी दलाल रामचन्द्र दास कहता है कि 'कहा कि बीस कर देना, मैने कहा साढे सत्तरह दे देगा' परिवादी हंसराज नाथ कहता है कि 'साढे सत्तरह क्या, तो सुबह आता हूँ दे जाउंगा'

वक्त 9.00 एएम पर पूर्व से पाबंद शुदा दो सरकारी कर्मचारी अनिल कुमार क0स0 व नरेन्द्र सिंह शेखावत वरिष्ठ सहायक, पीएचईडी चूरू हाजिर चौकी आये। दोनो सरकारी कर्मचारियों को परिवादी हंसराज द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति उपरान्त दोनो का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट एवं रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाते हुए अवलोकन करवाया गया। रूबरू गवाहान मन् उप अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी हंसराज नाथ ने रिश्वत में दिये जाने वाले 17,500रूपये (दो–दो हजार के पांच नोट व पांच सौ–पांच सौ के पन्द्रह नोट) प्रस्तुत किये। जिनका विवरण फर्द में अंकित किया जाकर सभी नोटो पर श्री श्रवण सिंह स.प्र.अ. से फिनोल्फथलीन पाऊडर लगवाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह अनिल कुमार से लिवाई जाकर रिश्वती राशि परिवादी के पहनी पेन्ट की पीछे की दाहीनी जेब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि आरोपी लेकर कहां रखता है उसका ध्यान रखे, आरोपी से हाथ नहीं मिलावे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल करे तथा यदि सम्भव होतो अपने सिर पर हाथ फैरकर ट्रेप पार्टी की तरफ

ईशारा करे। दोनो गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात सोडीयम कार्बोनेट एवं फिनोल्फथलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का श्रवण सिंह के हाथ धुलाकर दृष्टांत देकर परिवादी व गवाहान को महत्व समझाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 9.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी हंसराज नाथ दोनो गवाह श्री अनिल कुमार व नरेन्द्र सिंह तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स.उ.नि, राजपाल सिंह, ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, रीपेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार राजकुमार, बसन्त सिंह कानिगण, प्रमोद कुमार के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन तथा परिवादी हसंराज नाथ के निजी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना होकर राजलदेसर कस्बा से करीब 2–3 किमी पहले पंहुच मुख्य सडक पर वाहनों को रूकवा कर आरोपी रामचन्द्र की लॉकेशन बाबत परिवादी हंसराज नाथ से जरिये मोबाईल वार्ता करवाई गई तो आरोपी रामचन्द्र स्वामी ने कहा कि कौन हसंराज बोल रहा है, मेरा कोई लेना–देना नही है। यदि आपका कोई काम थाने में है तो आप अपने हिसाब से थाने में सम्पर्क करो व फोन काट दिया। पुनः परिवादी से फोन करवाया गया तो आरोपी ने उक्त बात कहकर फोन काट दिया। इस पर परिवादी हसंराज ने कहा कि शायद रामचन्द्र को कोई शक हो गया होगा। यदि शक हो गया है तो वह मेरे से वार्ता नही करेगा तथा शक नही हुआ है तो शाम–सुबह में उसका फोन मेरे पास आ जायेगा। इस पर परिवादी हंसराज को निर्देश दिये कि जैसे ही आरोपी आपसे सम्पर्क कर बुलाये तो तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल बताये। आरोपी द्वारा कहे गये उपरोक्त तथ्यों से आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही है अतः गवाह अनिल कुमार से परिवादी हंसराज की पेन्ट की जेब में रखी रिश्वती राशि 17,500रू. निकलवा कर एक कागज में लपेट कर सुरक्षित कब्जा में लेकर परिवादी हंसराज नाथ को रूखस्त कर मै उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहान व जाप्ता के जरिये दोनो वाहन से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचा, दोनो गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखस्त दी गई। रिश्वती राशि 17,500रू. सुरक्षित रखे गये। आईन्दा परिवादी हंसराज नाथ का फोन आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 22.04.2022 को परिवादी हसंराज ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर मन् उप अधीक्षक को बताया कि दिनांक 12.04.2022 के बाद रामचन्द्र दास स्वामी पुत्र श्री नारायण दास निवासी जेगणियां बीदावतान तह0 रतनगढ जिला चूरू ने न तो मेरे से सम्पर्क किया है तथा ना ही रिश्वत की मांग की है। पुलिस थाना राजलदेसर से भी किसी के द्वारा मेरे व मेरे भाई से सम्पर्क नही किया है। मेरी जानकारी में आया है कि जिस मुकदमे में पुलिस थाना राजलदेसर के द्वारा मेरे भाई मामराज नाथ को बुलाया जा रहा था उस मुकदमें में चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है जिसमें मेरे भाई को मुल्जिम नही रखा है। साथ ही यह भी सुनने में आया है कि राजलदेसर थानेदार रामप्रताप गोदारा का भी किसी अन्य जगह पर स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए अब मेरे से न तो रामचन्द्र दास स्वामी रिश्वत लेगा तथा ना ही पुलिस वाले रिश्वत राशि लेगें। इसलिए अब आगे कार्यवाही सम्भव नही है, मेरे द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि मुझे लौटाई जावे। परिवादी के द्वारा उक्त तथ्यों के सम्बधं में एक रिपोर्ट भी पेश की जो शामिल की गई। चुकि प्रकरण में अब आगे कार्यवाही सम्भव नही है इसलिए परिवादी हंसराज नाथ के द्वारा दिनांक 12.04.2022 को पेश की गई रिश्वती राशि 17,500रूपये जो सुरक्षित रखे है को परिवादी हंसराज नाथ को जरिये रसीद सुपुर्द कर रसीद शामिल की गई। परिवादी हसराज नाथ को बाद हिदायत इजाजत दी गई। समय–समय पर की गई कार्यवाही का रनिंग नोट तैयार किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी हसंराज नाथ निवासी भाणुदा बिदावतान तह0 रतनगढ जिला चूरू का बडा भाई मामराज नाथ विकलांग है जिसने गांव में ही धर्मकांटा कर रखा है। बीकानेर जाने वाले हाई–वे पर किसी जगह टायरों की दुकान में चोरी होने पर पुलिस थाना राजलदेसर में टायर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें तीन व्यक्तियों भानीनाथ, गिरधारी नाथ व विकास को पुलिस ने टायर चोरी के आरोप में पकड था। भानीनाथ व गिरधारी नाथ टायर चोरी करने से करीब 10–15 दिन पहले मामराज नाथ के पास धर्म कांटे पर आकर गये थे। पुलिस थाना राजलदेसर से थानाधिकारी श्री राम प्रताप गोदारा स्वयं गाडी लेकर परिवादी के पास उसके धर्मकांटे पर गया तथा परिवादी को कहा कि टायर चोरी के बाद टायर चोरी करने वाले व्यक्तियों की लॉकेशन आपके कांटे पर आ रही है। आपके भाई मामराज ने टायर चोरो से टायर लिये है। जिस पर परिवादी ने कहा कि मेरा भाई विकलांग है जो ऐसा काम नही करता है। उसके बाद थानेदार जी रामप्रताप गोदारा ने अपने दलाल रामचन्द्र दास स्वामी पुत्र श्री नारायण दास निवासी जेगणियां बीदावतान तह0

रतनगढ जिला चूरू के जरिये परिवादी हसंराज नाथ के पास सूचना भिजवाई कि अगर आप पचास हजार रूपये खर्चे के दे देते हो तो आपके भाई मामराज को मुकदमें मे मुल्जिम नही रखेगे। परिवादी को दिनांक 06.04.2022 को वार्ता करने के लिए भेजा गया तो आरोपी रामचन्द्र दास परिवादी को लेकर पुलिस थाना राजलदेसर में गया और थानाधिकारी श्री राम प्रताप गोदारा से उसके कार्यालय में जाकर वार्ता की तो थानाधिकारी ने परिवादी को कहा कि आपके भाई को लाकर पेश करो अगर मुल्जिम होगा तो गिरफ्तार कर लेगें तथा नही होगा तो छोड देगें तथा उंचा–नीचा कर लेगें। जिस पर दौराने बातचीत आरोपी दलाल रामचन्द्र दास परिवादी को बाहर जाने की कहता है तथा बाद में बाहर आकर परिवादी को बताता है कि मेरे घर पर जागरण का प्रोग्राम है, मैने थानेदार जी को कह दिया है दो–तीन दिन पुलिस आपके घर पर नही आये तथा दो–तीन दिन बाद मै बात करके आपको बता दुंगा। आरोपी दलाल रामचन्द्र दास के द्वारा दिनांक 11.04.2022 को परिवादी को बुलाने पर परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता के लिए भेजा गया तो आरोपी दलाल श्री रामचन्द्र दास ने थानेदार जी से बात हो जाने की कहते हुऐ परिवादी के भाई मामाराज नाथ को मुकदमें में मुल्जिम नही रखने की एवज में थानेदार श्री राम प्रताप गोदारा के नाम पर 17,500रूपये रिश्वत की मांग की। इस प्रकार आरोपी दलाल श्री रामचन्द्र दास का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्र0 नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। प्रकरण में थानाधिकारी राजलदेसर श्री राम प्रताप गोदारा की भूमि संदिग्ध है जिसके सम्बधं में प्रकरण दर्ज होने के बाद दौराने अनुसंधान सम्बंधित रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।

अतः रामचन्द्र दास स्वामी (दलाल) पुत्र श्री नारायण दास निवासी जेगणियां बीदावतान तह0 रतनगढ जिला चूरू के विरूद्ध धारा 7ए भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चूरू

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शबीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरा, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामचन्द्र दास स्वामी पुत्र श्री नारायण दास निवासी जेगणियां बीदावतान, तहसील रतनगढ जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 242/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.6.22
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2130–33 दिनांक 16.6.2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

16.6.22
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।